न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 11, आजमगढ़।
पीठासीन अधिकारी–अंकित वर्मा, जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी02536

मुकदमा नम्बर 3708/2023

राज्य उ०प्र० ....अभियोजन पक्ष

बनाम

1– गंगाप्रसाद पुत्र स्व० सरजू यादव,
2– मृतक रामप्रसाद पुत्र स्व० सरजू यादव(दौरान विचारण)
3– हरिकेश पुत्र स्व० रामप्रसाद,
4– पार्वती पत्नी गंगा प्रसाद,
5– बासमती पत्नी स्व० रामप्रसाद,
6– प्रेमा देवी पुत्री गंगा प्रसाद,
7– रामदरश पुत्र स्व० हसई,
8– रामविनय पुत्र स्व० हंसराज,
9– राजेश पुत्र स्व० हसई, समस्त निवासीगण ग्राम तोनारी, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़।

..................अभियुक्तगण

धारा 147, 148, 323/149, 504/149, 324/149,435 भा०दं०सं०,
थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़।
मुकदमा अपराध संख्या 57/1994

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण का विचारण थाना महराजगंज,जिला आजमगढ़ की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 325, 324, 323,504,435 भा०दं०सं० में प्रेषित किए जाने पर प्रारम्भ हुआ।

अभियुक्त रामप्रसाद की मृत्यु दौरान विचारण होने के कारण उसके विरूद्ध मुकदमे की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा छत्रधारी यादव, निवासी तोनारी, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ के द्वारा थाना महराजगंज में प्रार्थना पत्र (प्रदर्श क–1)प्रस्तुत कर कथन किया कि "प्रार्थी का चक नम्बर 44 है। चक नम्बर 226 है, जिसमे मैं गेहूं बोया था। उक्त प्रार्थी आज दिनांक 15.05.1994 को सायंकाल 03

Digitally signed by ANKIT VERMA
Date: 2026.02.18 05:08:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बजे मुल्जिमान गंगाप्रसाद पुत्र सरजू प्रसाद, रामप्रसाद पुत्र सरजू, हरिकेश पुत्र रामप्रसाद, पार्वती पत्नी गंगा प्रसाद, बासमती पत्नी रामप्रसाद, प्रेमा देवी पत्नी गंगा प्रसाद, रामदरख, रामविनय, राजेश पुत्र हसई यादव, निगुरदी पुत्र बिरजू यादव ने हमारा गेहूं काटने के लिए हल्ला बोलकर आये। मैं तथा मेरा समस्त परिवार मना किये, गाली देते हुए लाठी, डण्डा, गडासी आदि से मारे। हम लोगों ने बीच बचाव किया। ट्यूबवेल से हटाकर मारे और फसल को फूंक दिये। अतः कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।"

वादी मुकदमा गंगा प्रसाद यादव की ओर से प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज में मु०अ०सं० 57/1994, अन्तर्गत धारा 147,324,323,504,435 भा०दं०सं० पंजीकृत किया गया, जिसका उल्लेख रोजनामचा आम के हवाले रपट नम्बर 27 समय 18:10 बजे किया गया।

घटना में चुटहिल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया। विवेचक ने घटना स्थल पर जाकर घटना का नक्शा नजरी तैयार करते हुए साक्षियों के बयान अंकित किए गए। वादी, साक्षियों के बयान तथा निरीक्षण घटना स्थल के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित किया गया।

मामले के अभियुक्तगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी–अपनी जमानते कराई।

दिनांक 28.08.1998 को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 323/149, 504/149, 324/149,435 भा0द0सं0 में विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा तथा विचारण किए जाने की मांग की गई।

अभियुक्तगण द्वारा विचारण किए जाने की मांग पर अभियोजन साक्षियों को तलब किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा छत्रधारी यादव, पी०डब्लू० 2 हरिनरायन, पी०डब्लू० 3 श्रीकान्त चतुर्वेदी, चीफ फार्मासिस्ट मण्डलीय चिकित्सालय आजमगढ़ एवं पी०डब्लू० 4 राजनरायन यादव को परीक्षित कराया गया है। अन्य शेष साक्षी को प्रस्तुत न किए जाने का मौखिक कथन किया गया। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना से इंकार किया और साक्षियों द्वारा गलत बयान दिए जाने का कथन किया। सफाई साक्ष्य न प्रस्तुत करने का कथन किया।

मैंने सहायक अभियोजन अधिकारी एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 15.05.1994 को समय करीब 03 बजे दिन, स्थान ग्राम तोनारी, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को एक राय होकर लाठी डण्डा से

भाला से मारकर गम्भीर चोट पहुंचाकर गाली गुप्ता दिया तथा फसल को फूंककर दिया। अतः अभियुक्तगण दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसके परिवारिक सदस्यों के साथ कोई घटना कारित नहीं की गयी है।अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा छत्रधारी यादव** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया गया है कि" चक नम्बर 44 व चक नम्बर 226 मेरा चक है। चक नम्बर 226 मैंने बैनामा से लिया है। दोनों चक नम्बरों में मैं गेहूं बोया था। घटना के समय गेहू पक कर तैयार था। घटना दिनांक 15.05.1994 की शाम 03 बजे की घटना है। दोनों चकों की गेहूं की फसल को मुल्जिमान गंगा प्रसाद, रामप्रसाद पुत्रगण सरजू, श्रीमती प्रेमा पुत्री गंगा, श्रीमती पार्वती पत्नी गंगा, बासमती पत्नी रामप्रसाद, निगुरदी पुत्र बिरजू, रामदरश व रामविनय व राजेश पुत्रगण हसई, हरिकेश पुत्र रामप्रसाद मिलकर हल्ला बोलकर आये। मुल्जिमान अपने हाथों में लाठी, भाला, गड़ासा, हरियां लिये थे। मेरी उपरोक्त चकों की फसल को काटने लगे। मना करने पर मादरचोद, भोसड़ी वाले साले की गाली देते हुए मुझे, मेरे लड़के रामनरायन, हरिनरायन को मारेपीटे। शोर सुनकर मेरे गांव के हरेन्दर प्रसाद व हरिनाथ सिंह आये। घटना देखे व बीच बचाव किये। उपरोक्त मुल्जिमान मेरी फसल को फूंके, जिससे मेरा लगभग एक हजार रूपये नुकसान हो गया। चक नम्बर 44 व 226 के बीच में चकरोड के करीब है। मुल्जिमान ने हम लोगों को ट्यूबवेल पर ही मारा था। घटना के बाद मैं थाने पर जाकर मुकदमा लिखाया था। थाने से सिपाही हम लोगों को लेकर परशुराम अस्पताल आया वहां पर डॉक्टर के न होने पर वहां से हम लोगों के लेकर जिला अस्पताल आया। जहां हम लोगों ने चोटों का डॉक्टरी मुआयना हुआ। जिला अस्पताल में मेरा तथा मेरे लड़कों का भी हुआ। अस्पताल में हम लोगों का पूरा शरीर चोट होने से लगभग एक हफ्ता भर्ती रहे। हमने तहरीर लिखवाकर थाने पर दिया। लिखने वाले ने पढ़कर सुनाया तब हमने हस्ताक्षर बनाया। शामिल मिसिल तहरीर पर पर मेरा हस्ताक्षर है। उस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दारोगा जी मेरा बयान जाकर जिला अस्पताल में लिया। मेरे घर से पश्चिम तरफ है। जहां झगड़ा हुआ था, जो मेरे घर से चार पांच सौ मीटर की दूरी पर है।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि मेरे आजा का नाम त्रिलोचन था। मेरे पिता चार भाई थे। सरजू, बिरजू, जगमोहन, बृजमोहन थे। बृजमोहन का लड़का मैं हूं। सरजू के लड़के गंगा और रामप्रसाद है। हंसराज के रामदरश, रामविनय, राजेश, पुत्रगण हसंई उर्फ हंसराज है। जगमोहन के पास कोई लड़का लड़की नहीं थे। जगमोहन की और का नाम रामरती देवी था। सबसे पहले बिरजू मरे। बिरजू सन् 1948 में मरे। जगमोहन सन् 1961 में मरे। जगमोहन के मरने के बाद उनकी जमीन जायदाद चल अचल सम्पत्ति के वारिस उनकी विधवा रामरती देवी हुई। रामरती की लड़की जुगुरती व निकहकी नहीं थी। जुगरती व निकहकी से

मुकदमा लड़ा हूं। आराजी नम्बर 226 रामरती देवी की थी। घटना स्थल पर मैंने हरिनाथ व हरेन्दर को देखा था। घटना के बावत दरख्वास्त कहा और किसके लिखवाया। मुझे याद नहीं है। घटना काफी पुरानी है। अन्दाज से भी मैं नहीं बता सकता। घटना स्थल पर मैं और मेरे लड़के हरिनारायन रामनरायन उर्फ राजनरायन मौजूद थे। वहां मेरा ट्यूबवेल है। हम लोग ट्यूबवेल पर पहले से थे। सबके हाथ में हसुंआ मैंने देखा। गंगा प्रसाद, रामप्रसाद, पार्वती, बासमती, प्रेमा, हरिकेश, रामदरश, रामविनय, राजेश निगुरदी थे। चक नम्बर 44 का विवाद नहीं है। विवाद के पल 226 नम्बर का है। आराजी नम्बर 226 का मुझसे व मुल्जिमान से मुकदमा चला था। दिनांक 06.02.1986 को मेरे हक में फैसला हो गया। घटना का महीना मई था। यह कहना गलत है कि आराजी नम्बर 226 का रामरती बोयी थी। उसका गाटा उसी के पास है। उसकी सिंचाई नहर से किया हूं। यहां मैने अब तक प्रमाण दाखिल नहीं किया है। चकबंदी में दाखिल किया हूं। मेरे लड़के सत्यनरायन घटना स्थल पर नहीं थे न ही आये थे। उनके कोई चोट नहीं थी। जब मुल्जिमान मेरी फसल काटने लगे तब हाथ जोड़कर ट्यूबवेल से बाहर आये। ट्यूबवेल के अन्दर मैं व मेरे लड़के दो वर्ष के थे। आधा पौना घण्टा बाद बाहर ट्यूबवेल से आया। घटना स्थल पर मर्जादी नहीं आयी थी। मेरे घर में जो ट्यूबवेल है वह मेरे घर से पश्चिम है। मेरे घर से ट्यूबवेल की दूरी दो ढाई सौ गज है। जब से मैं बीमार हुआ तब से मैं ट्यूबवेल पर ही रहता हूं। ट्यूबवेल का निकास उत्तर तरफ है। ट्यूबवेल दो मंजिला है। जो नीचे वाला ट्यूबवेल का कमरा है, वह जंगलादार है। ट्यूबवेल के दाहिने वाले कमरे में पश्चिम तरफ दरवाजा है। उसके एक जंगला है। ट्यूबवेल का जो जमीन वाला कमरा है, तीन कमरे का है। तीनों कमरे में जगंला है। जिससे मैं सोता हूं। उसके उत्तर तरफ है। जिसमें इंजन लगा उसके पश्चिम तरफ है और दक्षिण वाले कमरे में पश्चिम तरफ है। सबसे दाहिने वाले कमरे में जिसमें की मशीन व धान कूटने की मशीन लगी है तथा उसमें अन्य सामान रहता है। आटा चक्की के अतिरिक्त गेहूं गन्ना पेरने वाली चारा काटने की मशीन पश्चिम तरफ कमरे से बाहर है। थ्रेसर मशीन भी पश्चिम कमरे के बाहर है। सारी मशीने मैंने अपने लिये लगायी है। यह सब सामान ट्यूबवेल मशीन चक नम्बर 44 तथा कुछ हिस्सा 226 में पड़रा है। सहन 226 में है। घटना के समय मेरा काम सत्यनरायन मेरी औरत मर्जादी नहीं थी। सत्यनरायन ट्रक चलाते हैं। दो तीन दिन बाद आये और मर्जादी अपने मायके गयी थी। दूसरे दिन खबर पाकर आयी। मेरे घर से मेरी ससुराल तीन कोस से अधिक है। दोनों घटना का एक समय है। चोट लगने के बाद मैं बेहोश नहीं हुआ। मैं ट्यूबवेल के दरवाजे पर था। मुझे होश नहीं है कि मैं उस समय खड़ा था या वहां बैठा था। घटना के समय मुल्जिमान थे। गवाह के दो एक आदमी और थे। घटना के समय मेरे तरफ मैं और मेरे लड़के थे। मैं अपनी ट्यूबवेल पर पहले से था। मैं अपने ट्यूबवेल पर ही रहता हूं। मेरे लड़के की ट्यूबवेल पर मेरे साथ थे। मेरे लड़के घर और ट्यूबवेल पर दोनों जगह रहते हैं। मैं सुलह से ही ट्यूबवेल पर घटना स्थल पर मौजूद था। मेरे लड़के का काम धाम हो रहा था। मौजूद

थे। दिनांक 15 मई सन् 1994 को रामनरायन व हरिनरायन 02 बजे से गेहूं की फसल काट रहे थे। तीन बजे तक चार लोग मारने लगे। उस समय मैं अपने ट्यूबवेल के दरवाजे पर था। गंगा को मारा नहीं लगा था। मेरे लड़के सत्यनरायन उस समय घर पर हीं थे। मर्जादी भी गेहूं काटते समय नहीं थी। जहां खेत कट रहा था वहां से पांच छः लाठा दूरी पर मैं था। ट्यूबवेल पर छप्पर नहीं है। छत है। मुझसे व गंगा वगैराह से पुरानी रंजिश है। गेहूं जब बोया गया था उस समय दारोगा जी नहीं थे। गेहूं में आग लगी थी, जिससे गांव के लोग मेरे लड़के हरिनरायन व राजनरायन बल्टी से पानी भरकर के गये उसी से आग बुझाए। मेरी ट्यूबवेल पर बल्टी पहले से रखी थी। आग दिन में तीन बजे लगी थी। पहले झगड़ा हुआ, उसके बाद आग लगी। झगड़ा के पन्द्रह मिनट बाद आग लगी। आग बुझाने में कुल पन्द्रह बीस मिनट लगे थे। आग बुझाने में मैने भी सहयोग किया था। हम लोग साढ़े तीन बजे घटना स्थल से रवाना हो गये। मुझे याद नहीं कि दरख्वास्त किसने दिया था। दारोगा जी ने मेरा बयान अस्पताल में दिये थे क्योंकि उस समय हम लोग सदर अस्पताल में भर्ती थे। मेरे लड़को का भी बयान दारोगा जी ने सदर अस्पताल में लिये थे। पन्द्रह मई सन् 1994 को गंगा प्रसाद मेरे साथ थाने पर गये थे या नहीं मैं नहीं बता सकता हूं। थाने पर मैं अकेले गया था। हरिश्चन्द्र व हरिनरायन को उधर से दक्षिण आते हुए देखा था। मैं घटना के समय ही उन लोगों ने देखा। उक्त गवाहान आकर मेरे पास साढ़े तीन घण्ट तक मेरे साथ थे। यह मुझे याद नहीं है कि उस समय घटना स्थल पर कितने लोग थे। घटना स्थल पर मुल्जिमान एक साथ आये थे। गांव के लोग बारी बारी से घटना स्थल पर आए। गांव से घटना स्थल की दूरी सौ गज है। यह कहना गलत है कि घटना स्थल पर गंगा, राजनरायन, हरिनरायन और मैं घायल हुए थे। यह भी कहना गलत है कि जिस तरह मैंने बयान दिया है, वैसी घटना नहीं घटित हुई है। यह भी कहना गलत है कि क्रास केस से बचने के लिए मैं न्यायालय में झूंठी गवाही दे रहा हूं। मुझे याद नहीं है कि कौन क्या हथियार लिया था। यह मैंने अपनी रिपोर्ट लिखाया है या नहीं। दारोगा जी मेरा बयान लिये थे। मैंने अस्पताल में अपना बयान दारोगा जी को दिया था। इस समय याद नहीं है कि हथियारों के बारे में मैंने दारोगा जी बताया था या नहीं। समय काफी हो गया है। बददिमागी हूं। इस समय याद नहीं है कि अदालत में दिये बयान में हथियारों के बारे में मैने बताया था या नहीं। मुझे याद है कि मेरे बांये हाथ में फ्रैक्चर था। सिर में बांयी तथा दाहिनी ओर तथा अन्य कई जगह चोटे आयी थी। मुझे दाहिने कान के नीचे गडासी की चोट आयी थी। मुझे कई जगह गंडासी से चोट आयी थी। मुझे पैर में चोट आयी थी। पेट व पीठ में नहीं लगी थी। सिर पर में लगी थी। खून बह रहा था। दारोगा जी ने जो कपड़ा मुझसे मांगा था, वह सब मैंने इन्हें दिया था वह सब मैंने इन्हें दिया था। दारोगा जी घटना के दो तीन दिन बात सदर अस्पताल में मेरा बयान लिये थे। यह कहना गलत है कि आराजी नम्बर 226 का मुकदमा चकबंदी में सी०ओ० सगड़ी के यहां लम्बित है और यह भी कहना गलत है कि मैं व मेरे लड़के राजनरायन, हरिनरायन लाठी, भाला, गंडासी, हसुंआ से 226 में गेहूं काट रहे थे।

अभियुक्तगण गंगा के मना करने पर हम पांचो लोग मारे पीटे। इनके शोर पर उनके परिवारवालों जब बचाने आये तो उन्हें भी मारापीटा, जिसका मुकदमा चल रहा है, जिससे बचने के लिए मैंने पुलिस के सहयोग से झूंठा मुकदमा किया है।

अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 2 हरिनरायन** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया गया है कि" झगड़ा 15 मई सन् 1994 को समय तीन बजे दिन की है। आराजी नम्बर 226 पर हम लोग गेहूं बोए थे, जिसको अभियुक्तगण गंगा प्रसाद, रामप्रसाद पुत्रगण सरजू, पार्वती पत्नी गंगा प्रसाद, भासमती पत्नी रामप्रसाद, प्रेमा पुत्री गंगा प्रसाद, हरिकेश पुत्र रामप्रसाद, रामदरश, रामविनय, राजेश पुत्रगण हंसई, हल्ला बोलकर मेरी गेहूं की फसल काट रहे थे। जब हम लोग मना करने गये तो अभियुक्तगण गड़ासा, बल्लम से हम लोगों को मारने लगे। मुल्जिमानों के मारपीट से मेरे पिता छत्रधारी मेरे भाई रामनरायन व मुझे काफी चोटे आई थी। मेरा गेहूं कितने लोग काट रहे थे वह सभई स्त्री, पुरूष मिलकर हम लोगों को मारने पीटने लगे। मेरे गांव के हरेन्द्र व हरिनाथ तथा गांव के बहुत से लोगों ने घटना देखा व बीच बचाव किया। यह झगड़ा मेरे खेत में मेरे ट्यूबवेल पर हुआ था। मुल्जिम हम लोगों को मां बहन बेटी की भद्दी–भद्दी गाली दिये। मेरे खेत में मेरी फसल को काटकर फूंककर नुकसान किये थे। बीच बचाव के बाद मैं, मेरा भाई रामनरायन मेरे पिता छत्रधारी सभी लोग थाने पर मुकदमा लिखाये। थाने पर मुकदमा मेरे पिता जी लिखाये थे। थाने पर हम तीनों लोगों की चोटों को दीवान जी व दारोगा साहब ने देखा था। उसके बाद हम लोग सरकारी अस्पताल से सदर अस्पताल आजमगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल आजमगढ़ जाकर हम लोगों ने अपनी चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराए। डॉक्टर साहब हम लोगों को भर्ती करा दिये। गड़ासे से रामविनय व बल्लम से गंगा व रामदरश ने मारा ठा। हंसिया से प्रेमा व पार्वती दोनों मारे थे। मुल्जिमों को मारने से मुझे मेरे भाई रामनरायन व मेरे पिता को काफी चोटे आयी थी। लाठी से राजेश मुझको मारे थे। अन्य सभी अभियुक्तगण मिलकर लाठी डन्डा से मारे थे। दारोगा जी घटना के बावत बयान सदर अस्पताल में जाकर लिये थे। मुल्जिम राजेश के मारने से मेरे दाहिने हाथ की दर्जनी अंगुली में फ्रैक्चर हुआ था। बदन में कई जगह चोटे आई थी।"

उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि"हम लोग तीन भाई हैं। घटना के समय मेरी उम्र लगभग 16 वर्ष थी। झगड़ा जिस समय हुआ उस समय मैं अपने खेत में गेहूं काट रहा था। कितना गेहूं कटा था, याद नहीं है। मेरे साथ मेरे पिता जी और भाई साहब थे। गंगा आकर मुझे मना नहीं किये बल्कि गेहूं बचरने लगे। गंगा ने कितन गेहूं काटा मुझे याद नहीं है। गंगा को चोट लगी थी या नहीं लगी थी, मुझे जानकारी नहीं है। मैं गंगा की लड़की प्रेमा को भी नहीं जानता हूं कि उनको चोट लगी थी या नहीं लगी थी। छत्रधारी को चोट लगी थी, मैं देखा था। रामनरायन को भी चोट लगी थी। मुझे भी चोट लगी थी। लेकिन मैं बेहोश नहीं था। मैं, मेरे पिता भाई थाने पर गये थे। मुझे लोग चारपाई पर उठा कर ले गये थे और मेरे पिता जी को मेरे भाई सायकिल पर बैठकर ले गये थे। तीन बजे के बाद घटना स्थल से थाने के लिये

गये थे। कितने घण्टे में पहुंचा याद नहीं है। कितने घण्टे थाने पर रहा यह भी याद नहीं है। थाने से परशुरामपुर अस्पताल गया वह समय मुझे याद नहीं है। वहां से सदर अस्पताल गया कितने बजे अस्पताल पहुंचा याद नहीं है। आधी रात के बाद पहुंचा समय याद नहीं है। चार चक्का गाड़ी से सदर अस्पताल पहुंचा था। मैं लगभग 4–5 दिन सदर अस्पताल आजमगढ़ में भर्ती रहा था। दारोगा जी ने मेरा बयान अस्पताल में लिया था। मेरे साथ मेरे भाई व मेरे पिता अस्तपाल में भर्ती थे। मुझको इतना याद नहीं है कि दारोगा जी ने किसका बयान कहां लिया। मुझे यह याद नहीं है कि दारोगा जी ने मेरे बयान में क्या लिखा है। मैं नहीं बता सकता कि ट्यूबवेल किस नम्बर में है। उस समय ट्यूबवेल के लिए एक कमरा बना था। खेत में मैं गेहूं काट रहा था। उसमें मेड़ नहीं थे। मैं नहीं जानता कि इसी जमीन को लेकर मेरे पिता छत्रधारी व गंगा से मुकदमा चल रहा था। गंगा मुझे मना किये थे कि नहीं मुझे याद नहीं है। मेरे पिता जी मना करने वाली बात बता सकते हैं। यह कहना गलत है कि मैं मेरे भाई राजनरायन, सत्यनरायन मेरी मां मर्जादी देवी और पिता छत्रधारी यादव जबरदस्ती गेहूं की फसल लाठी, भाला, गंडासी से लैश होकर हंसुये से गेहूं का फसल काट रहे थे, जिस पर गंगा यादव आकर फसल काटने से मना किये तो हम लोगों ने गाली गुप्ता देते हुए अपने रखे हुए हथियारों से उन्हें मारने लगे। गंगा के शोर पर उनकी पत्नी पार्वती व उनकी लड़की प्रेमा देवी उन्हें बचाने आयी तो उनको भी हम सभई लोगों ने अपने अपने लिए हुए हथियारों से मारापीटा, जिससे तीनों लोगों को गम्भीर चोटे आयी। यह भी कहना गलत है कि इसी मुकदमे से बचने के लिए मैं और मेरे पिता जी ने थाने के पुलिस को मिलाकर फर्जी केस लिखवाया और चोट को गम्भीरता देने के लिए आजमगढ़ सदर अस्पताल में अपना डॉक्टरी मुआयना करवाया। यह भी कहना गलत है कि जैसा मैंने गवाही दिया है वैसी कोई घटना नहीं घटी है और आज न्यायालय में झूंठी गवाही दे रहा हूं। मेरे पिता जी मेरे साथ न्यायालय में मौजूद हैं। इस घटना के क्रास केस में मैं अभियुक्त हूं। चक नम्बर 44 में गेहूं बोया गया था। घटना के समय चक नम्बर 44 का गेहूं कटा नहीं था। इस 44 नम्बर चक से किसी से विवाद नहीं था। गेहूं मजदूर न मिल पाने के कारण गेहूं 15 मई सन् 1994 तक नहीं कट पाया था। 15 मई सन् 1994 को गेहूं कटा नहीं फूंक दिये। चक नम्बर 44 कितने बीघे का है, मेरे पिता जानते होगे। मैं नहीं जानता हूं। सम्पूर्ण चक में गेहूं बोया गया था। कितने बीघा में बोया गया था, मुझे नहीं मालूम। मेरे पास कितना खेत है। मेरे पिता जी जानते हैं। छत्रधारी मेरे पिता है। गंगा प्रसाद यादव मेरे चाचा पद में गांव के नाते लगते हैं। छत्रधारी के पिता बृजमोहन है और गंगा के सरजू हैं। बृजमोहन यादव व सरजू यादव दोनों सगे भाई थे। जिस जमीन में गेहूं बोया गया था, उसका मुकदमा मेरे पिता व गंगा प्रसाद के बीच में जमीन के बावत मुकदमा चल रहा था कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मेरे पिता जी जानते होगे। इस खेत में मैं मेरे पिता मेरे भाई गेहूं नहीं काट रहे थे। गेहूं का खेत मैं अपने ट्यूबवेल पर से देख रहा था। ट्यूबवेल उसी चक में है। यह

मेरा ट्यूबवेल चक नम्बर 44 में है। गेहूं नहीं कटा था। फिर कहा कि हम लोग गेहूं काट रहे थे।"

अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 3 श्रीकान्त चतुर्वेदी, चीफ फार्मासिस्ट मण्डलीय चिकित्सालय आजमगढ़** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया गया है कि"पत्रावली में संलग्न मेडिकल रिपोर्ट छत्रधारी, श्री राजनरायन की है, जो दिनांक 16.05.1994 को तैयार की गयी है। मेडिकल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर के आधार पर यह मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर आर०के० चित्रांसी द्वारा तैयार की गयी है। यह मेडिकल रिपोर्ट मण्डलीय चिकित्सालय आजमगढ़ के प्राइवेट मेडिको लीगल रजिस्टर के क्रमशः पेज नम्बर 118,119 व 112, 113 पर पुलिस के रूप में दर्ज है। पत्रावली में संलग्न मेडिको लीगल से मिलान किया गया, जो हुबहू सही है। जिस पर प्रदर्श क–2,3,4 डाला गया।"

उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि"जिस समय मेडिकल रिपोर्ट तैयार हुई, उस समय मैं वहां पर नहीं था। मेरे अपने कोई मेडिकिल रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है और न ही मैं डॉक्टर के साथ रहा हूं न तो उनको लिखते पढ़ते मैंने देखा है। डॉक्टर साहब जिन्दा हैं, या मर गये हैं, मैं यह भी नहीं बता सकता हूं। यह कहना गलत है कि मैं मुकदमा वादी से मिलकर रजिस्टर लेकर आया हूं और झूंठी गवाही दे रहा हूं।"

अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 4 राजनरायन यादव** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया गया है कि"चक नम्बर 44 तथा चक नम्बर 226 मेरा चक है। चक नम्बर 226 मेरे पिता जी ने बैनामा से लिया है। दोनों चक नम्बरों में मैंने गेहूं बोया था। घटना के समय गेहूं पक कर तैयार हो गया था। घटना दिनांक 15.05.1994 की शाम तीन बजे की है। उस दिन दोनों चकों के फसलों को मुल्जिमान गंगा प्रसाद, रामप्रसाद, श्रीमती प्रेमा, श्रीमती पार्वती, रामदरश, राजेश, हरिकेश सब लोग हल्ला बोलकर आये और अपने हाथो में लाठी,डण्डा, भाला गडांसा हथियार लिये थे। मेरे उपरोक्त चक की फसल को काटने लगे। मना करने पर मादरचोद भोसड़ी वाले साले की गाली देते हुए व मेरे पिता छत्रधारी तथा भाई हरिनरायन को मारने पीटने लगे। जो लाठी डण्डा व गडांसा से मारने लगे। हम लोगों ने बचाव के लिए शोर मचाया तब शोर सुनकर मेरे गांव के हरेन्द्र प्रसाद आये और बीच बचाव किये। उपरोक्त मुल्जिमानों ने फसल भी फूक दिये। चक नम्बर 44 व चक नम्बर 266 के बीच में चकरोड है। वहीं पर ट्यूबवेल है। उपरोक्त मुल्जिमान ने हम लोगों की ट्यूबवेल पर ही मारा था। घटना के बाद हम थाने पर जाकर मुकदमा लिखाया था। सिपाही हम लोगों को लेकर परशुरामपुर अस्पताल लेकर गये थे। सदर अस्पताल में उपचार हेतु एक सप्ताह भर्ती रहा। हमने एक्सरे अपनी चोटों का कराया था। फ्रैक्चर मेरे बाये हाथ की कलाई में हुआ था। दारोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली में सलग्न है।"

उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि"दारोगा जी ने मेरा बयान थाने पर लिया था। दारोगा जी घर आये। बुलवाने पर मैं थाने पर गया था। घटना के 10–15 दिन बाद दारोगा जी आये थे। जहां पर मेरा ट्यूबवेल है, वहां पर गंगा का खेत नहीं है। बल्कि दो खेत और हैं, जो सौ मीटर दूर है। घटना के समय गंगा का ट्यूबवेल नहीं था। इस समय है। जो लगभग 15–16 वर्ष से है। गंगा के खेत पर क्या बोया गया था, मैं नहीं बता सकता। गंगा का कितना खेत है, मैं नहीं बता सकता। घटना दिनांक 15.05.1994 की है। मेरे खेत में गेहूं का फसल थी। बाकी सबका खेत कट गया था। मैं गेहूं की फसल नहीं काट रहा था। गेहूं की फसल मुल्जिमान काट रहे थे। लगभग तीन बजे शाम के पहले काट रहे थे। 15 मिनट पहले गेहूं लगभग डेढ–दो बिस्वा कटा था। गेहूं की फसल खड़ी थी, जो जला दिये, कटी फसल क्या हुई थी, नहीं बता सकता। चोटे मेरे पिता छत्रधारी , हरिनरायन और मुझे चोट आई थी। गंगा को चेट आई थी की नहीं, मैं नहीं बता सकता। पार्वती को चोट नहीं आई थी। प्रेमा को भी चोट नहीं आई थी। इन लोगों को चोटे नहीं आई थी। चोट खाने के बाद हम तीनों लोग दो रिक्शे से महराजगंज थाने पर गये। पुलिस थाने से हम लोग को गाड़ी से अस्पताल ले गये। परशुरामपुर अस्पताल गये उस समय गंगा व अन्य परशुरामपुर अस्पताल में नहीं थे। फर्मासिस्ट का नाम मैं नहीं बता सकता। मुझेको पूरे शरीर पर चोट लगी थी। मुझे कितनी लाठी लगी थी, मैं नहीं बता सकता। मेडिकल पे लिखी है। पूरे शरीर में चोट आई थी। सिर्फ मुझे लाठी की चोट लगी थी। मेरे घर से थाना 4–5 किमी दूरी पर है। थाने पहुंचने पर लगभग एक घण्टा लग गया था। मैं एम०ए० किया हूं। मेरे घर पर दो जगह खाना बनता है। खेत के ट्यूबवेल पर और घर पर। दारोगा जी मेरा बयान लिये थे। दारोगा जी थाने पर बयान लिये थे, 10–15 दिन बाद घर पर आये थे। फिर कहा ट्यूबवेल पर आये थे, घर पर नहीं आये थे। ट्यूबवेल पर दारोगा जी बैठे थे। चारपाई थी, उसी पर बैठे थे। स्टेट बनाम छत्रधारी इसका क्रास केस चल रहा है। जिसमें मैं भी अभियुक्त हूं। इस मारपीट में मुझे भी चोट लगी थी। हम नहीं बता सकते कि इस मारपीट में गंगा को चोट लगी थी। इस मारपीट में पार्वती को चोट लगी थी कि नहीं,मुझे नहीं मालूम। मैं मौके पर था। प्रेमा को चोट लगी थी कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। प्रेमा देवी, गंगा प्रसाद की लड़की है। यह मारपीट खेत में हुई थी। उसी खेत में हमारा घर है। ट्यूबवेल है। खेत में तीन कमरे का घर है। यह घर घटना के पहले का है। दारोगा जी को मैंने तीन कमरे वाला घर दिखाया था। घर की लिखा पढ़ी किये के नहीं इसको मैं नहीं बता सकता।चक वाले घर के उत्तर दिशा में विवादित खेत है कि नहीं मैं नहीं बता सकता। दोनों खेत बिना मेड़ के हैं। उस खेत में गेहूं बोया था। जो हमारा खेत था। सम्पूर्ण में गेहूं बोया गया था। मैं नहीं बता सकता कि दारोगा जी लिखा पढ़ी किये थे, या नहीं। मेरे खेत का गेहूं खड़ा था। गेहूं उठाकर ले गये थे या नहीं मैं नहीं बता सकता। चक के पूरब चकरोड, नाला पश्चिम तरफ है। इस जमीन का मुकदमा किस न्यायालय में चल रहा है, मुझे नहीं मालूम। इस समय खेत का मुकदमा किस न्यायालय में चल रहा है, मुझे

नहीं मालूम। इस समय खेत का मुकदमा समाप्त हो गया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। विवादित जमीन को पिता जी ने बैनामा लिया है। झगड़ा के पहले या झगड़ा के समय छत्रधारी मुसम्मात रजिस्ट्री से बैनामा लिये थे। मुझे नहीं मालूम है कि मुसम्मात रजस्ट्री से मेरे पिता छत्रधारी ने बैनामा से पहले गंगा प्रसाद व रामप्रसाद ने बैनामा किया था। प्रश्न–विवादित जमीन गंगाप्रसाद के नाम थी या नहीं यह बात आपको मालूम है कि नहीं ।उत्तर–मुझे नहीं मालूम। यह कहना गलत है कि इस जमीन का बैनामा रामप्रसाद और गंगा ने मेरे पिता से रजिस्ट्री कराया था, मैं जानबूझकर झूंठ बोल रहा हूं। प्रश्न– बैनामा वाली जमीन आपके पिता अपनी मां हथियार लेकर भाला गड़ासी लाठी लेकर गेहूं काट रह थे। उत्तर–मैं गेहूं नहीं काट रहा था।प्रश्न–क्या आप और आपके परिवार के लोग विवादित जमीन में गेहूं काट रहे थे तो क्या गंगा प्रसाद व रामप्रसाद मना करने गये थे। उत्तर–गंगा प्रसाद व रामप्रसाद मना करने नहीं गये थे। प्रश्न– क्या गंगा प्रसाद अभियुक्त के मना करने पर आप लोगों ने उन्हें भाला, लाठी, गड़ासी से बुरी तरह जान से मारने के लिए मारने लगे। उत्तर–यह कहना गलत है। प्रश्न– क्या अभियुक्त गंगा के मना करने जब उनको आप लोग मारने पीटने लगे तो उनके शोर पर उनकी लड़की प्रेमा, उनकी औरत पार्वती बचाने आयी तो उनको भी बुरी तरह से मारेपीटे। उत्तर–नहीं मारेपीटे। प्रश्न–क्या जब गंगा प्रसाद और उनकी लड़की प्रेमा और औरत पार्वती को मारने पीटने लगे तो गांव के बाकी लोग आ गये और हम लोगों को मारपीट कर गंगा और उनकी औरत और लड़की की जान बचाये। उत्तर– हम लोगों ने नहीं मारा, गांव वालों ने हमको नहीं मारा।

पत्रावली पर चुटहिल हरिनरायन की चिकित्सीय परीक्षण आख्या दिनांक 16.05.1994 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उसको कुल 13 चोटें आने का विवरण अंकित किया गया है। चिकित्सक की राय के अनुसार चोट संख्या 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13 धारदार हथियार एवं शेष चोटें कुन्दालय से पहुंचायी गयी हैं।

चुटहिल रामनरायन को कुल 6 चोटें पहुंचायी गयी है, जिसमें चोट संख्या 6 को छोड़कर बाकी चोटे साधारण प्रकृति की हैं। चुटहिल छत्रधारी कुल छः चोटे पहुंचायी गयी हैं।

एक्सरे डिपार्टमेंट जिला चिकित्सालय आजमगढ़ द्वारा चुटहिल छत्रधारी, रामनरायन एवं हरिनरायन की एक्सरे की रिपोर्ट है।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटनाएं एक दूसरे से सम्बन्धित हैं तथा अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को एक राय होकर लाठी डण्डा से भाला से मारकर गम्भीर चोट पहुंचाकर गाली गुप्ता दिया तथा फसल को फूंक दिया। बचाव पक्ष द्वारा घटना कारित न किए जाने के सम्बन्ध में कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है न ही घटना स्थल पर अभियुक्तगण के गैर हाजिर होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

वादी मुकदमा/पीड़ित छत्रधारी यादव द्वारा अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि चक नम्बर 226 उसने बैनामा से लिया है। दिनांक 15.05.1994 की शाम 03

बजे मुल्जिमान गंगा प्रसाद, रामप्रसाद पुत्रगण सरजू, श्रीमती प्रेमा पुत्री गंगा, श्रीमती पार्वती पत्नी गंगा, बासमती पत्नी रामप्रसाद, निगुरदी पुत्र बिरजू, रामदरश व रामविनय व राजेश पुत्रगण हसई, हरिकेश पुत्र रामप्रसाद मिलकर हल्ला बोलकर आये। मुल्जिमान अपने हाथों में लाठी, भाला, गड़ासा, हसियां लिये उसके चक की फसल को काटने लगे। मना करने पर मादरचोद, भोसड़ी वाले साले की गाली देते हुए मुझे, मेरे लड़के रामनरायन, हरिनरायन को मारेपीटे। शोर सुनकर मेरे गांव के हरेन्दर प्रसाद व हरिनाथ सिंह आये। घटना देखे व बीच बचाव किये। उपरोक्त मुल्जिमान उसकी फसल को फूंके, जिससे मेरा लगभग एक हजार रूपये नुकसान हो गया। साक्षी पी०डब्लू० 2 हरिनरायन ने बयान दिया है किअभियुक्तगण गंगा प्रसाद, रामप्रसाद पुत्रगण सरजू, पार्वती पत्नी गंगा प्रसाद, भासमती पत्नी रामप्रसाद, प्रेमा पुत्री गंगा प्रसाद, हरिकेश पुत्र रामप्रसाद, रामदरश, रामविनय, राजेश पुत्रगण हंसई, हल्ला बोलकर मेरी गेहूं की फसल काट रहे थे। मना करने पर अभियुक्तगण गड़ासा, बल्लम से हम लोगों को मारने लगे। मुल्जिमानों के मारपीट से मेरे उसके पिता छत्रधारी, भाई रामनरायन व उसको काफी चोटे आई थी। चोटों का चिकित्सीय परीक्षण सदर अस्पताल आजमगढ़ जाकर चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराए। डॉक्टर साहब उन लोगों को भर्ती करा दिये। मुल्जिम राजेश के मारने से उसके दाहिने हाथ की दर्जनी अंगुली में फ्रैक्चर हुआ था। बदन में कई जगह चोटे आई थी। साक्षी पी०डब्लू० 3 श्रीकान्त चतुर्वेदी, चीफ फार्मासिस्ट मण्डलीय चिकित्सालय आजमगढ़ द्वारा बयान दिया है कि पत्रावली में संलग्न मेडिकल रिपोर्ट छत्रधारी, श्री राजनरायन की है, जो दिनांक 16.05.1994 को तैयार की गयी है। मेडिकल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर के आधार पर यह मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर आर०के० चित्रांसी द्वारा तैयार की गयी है। यह मेडिकल रिपोर्ट मण्डलीय चिकित्सालय आजमगढ़ के प्राइवेट मेडिको लीगल रजिस्टर के क्रमशः पेज नम्बर 118,119 व 112, 113 पर पुलिस के रूप में दर्ज है। पत्रावली में संलग्न मेडिको लीगल से मिलान किया गया, जो हुबहू सही है। जिस पर प्रदर्श क–2,3,4 डाला गया। साक्षी पी०डब्लू० 4 राजनरायन यादव ने बयान दिया है कि चक नम्बर 226 उसके पिता जी ने बैनामा से लिया है। दिनांक 15.05.1994 की शाम तीन बजे मुल्जिमान गंगा प्रसाद, रामप्रसाद, श्रीमती प्रेमा, श्रीमती पार्वती, रामदरश, राजेश, हरिकेश सब लोग हल्ला बोलकर आये और अपने हाथो में लाठी,डण्डा, भाला गडांसा हथियार लिये थे, उपरोक्त चक की फसल को काटने लगे। मना करने पर मादरचोद भोसड़ी वाले साले की गाली देते हुए व उसके पिता छत्रधारी तथा भाई हरिनरायन को मारने पीटने लगे। जो लाठी डण्डा व गडांसा से मारने लगे। उन लोगों ने बचाव के लिए शोर मचाया तब शोर सुनकर मेरे गांव के हरेन्द्र प्रसाद आये और बीच बचाव किये। उपरोक्त मुल्जिमानों ने फसल भी फूंक दिये। वह सदर अस्पताल में उपचार हेतु एक सप्ताह भर्ती रहा। उसने एक्सरे अपनी चोटों का कराया था। फ्रैक्चर बाये हाथ की कलाई में हुआ था। दारोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली में सलग्न है।

बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीड़ित/वादी व उनके हितबद्ध साक्षियों द्वारा ही अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन किया गया तथा किसी स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय में मुकदमा संख्या 3682/2023 राज्य बनाम छत्रधारी आदि का क्रास केस भी चल रहा है, जिनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों द्वारा आक्रामक होकर दूसरे पक्ष को गाली गुप्ता देते हुए लाठी, डण्डा व गड़ासी से उपहति पहुंचायी गयी। दोनों पक्षों के मध्य के मध्य जमीनी विवाद चक नम्बर 226 का है, जिसमे मैं गेहूं बोया था। गेहूं की फसल को काटने का विरोध में अभियुक्तगण द्वारा उपहति आक्रोशवश पहुंचायी गयी। अतः अभियुक्तगण अपने–अपने अपराध के लिए उत्तरदायी हैं।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन किया गया है। जहां तक वादी द्वारा ही घटना को पूर्णतः समर्थन व साबित किए जाने का प्रश्न है तो मात्र इस आधार पर कि अभियोजन के कथानक समर्थन पीड़ित वादी मुकदमा व उसके हितबद्ध साक्षियों द्वारा ही साबित किया गया है। अभियोजन कथानक को संदिग्ध माना नहीं जा सकता।इस प्रकार उपलब्ध साक्षियों के साक्ष्य एवं चिकित्सीय परीक्षण आख्या के परिशीलन के आधार पर न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण द्वारा पीड़ित/वादी मुकदमा एवं उसके पारिवारिक सदस्यों के साथ एक राय होकर लाठी डण्डा से भाला से मारकर गम्भीर चोट पहुंचाकर गाली गुप्ता दिया तथा फसल को फूंक दिया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन के आधार पर न्यायालय का अभिमत है कि अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा 147, 148, 323/149, 504/149, 324/149, 435 भा0 द0 सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **गंगाप्रसाद, हरिकेश, पार्वती, बासमत, प्रेमा देवी, रामदरश, रामविनय, राजेश** को धारा 147, 148, 323/149, 504/149, 324/149, 435 भा0 द0 सं0 के अपराध को कारित करने हेतु दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं।अभियुक्तगण के जमानतनामें व व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किए जाते हैं एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए।

सजा के प्रश्न पर सुनवाई पत्रावली कुछ समय पश्चात् पेश हो।

दिनांक 18.02.2026

(अंकित वर्मा)
J.O. Code U.P. 2536
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या 11, आजमगढ़।

<u>दिनांक 18.02.2026</u>

पत्रावली पुनः पेश हुई।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सजा के बिन्दु पर सुना गया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ उसके परिवारिक सदस्यों एवं महिलाओं के साथ मारपीट कर अपराध कारित किया गया है। अतः अधिक से अधिक सजा दी जावे।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्तगण गरीब मजदूर व किसान व्यक्ति हैं तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं तथा यह भी याचना की गई है कि अभियुक्तगण द्वारा प्रथम अपराध किया गया है। भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करेंगे। अतः अभियुक्तगण को कम से कम सजा से दण्डित किया जाए।

पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ उसके परिवारिक सदस्यों एवं महिलाओं के साथ मारपीट कर अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण धारा 147, 148, 323/149, 504/149, 324/149, 435 भा0 द 0 सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं।

<u>दण्डादेश</u>

अभियुक्तगण **गंगाप्रसाद, हरिकेश, पार्वती, बासमत, प्रेमा देवी, रामदरश, रामविनय, राजेश** प्रत्येक को **धारा 147, 148, 323/149, 504/149, 324/149, 435 भा0 द 0 सं0** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रत्येक को **धारा 147 भा०द०सं०** का अपराध कारित करने के लिए तीन माह का सश्रम कारावास व तीन सौ रूपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण तीन दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगें।

अभियुक्तगण प्रत्येक को **धारा 148 भादसं** का अपराध कारित करने के लिए तीन माह का सश्रम कारावास व तीन सौ रूपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया

जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण पांच दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगें।

अभियुक्तगण प्रत्येक को **धारा 323/149 भादसं** का अपराध कारित करने के लिए तीन माह का सश्रम कारावास व तीन सौ रूपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण तीन दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगें।

अभियुक्तगण प्रत्येक को **धारा 504/149 भादसं** का अपराध कारित करने के लिए तीन माह का सश्रम कारावास व तीन सौ रूपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण तीन दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगें।

अभियुक्तगण प्रत्येक को **धारा 324/149 भादसं** का अपराध कारित करने के लिए तीन माह का सश्रम कारावास व तीन सौ रूपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण तीन दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगें।

अभियुक्तगण प्रत्येक को **धारा 435 भादसं** का अपराध कारित करने के लिए छः माह का सश्रम कारावास व पांच सौ रूपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण पांच दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगें।

अभियुक्तगण पर अधिरोपित समस्त सजायें साथ–साथ चलेगीं।

यदि अभियुक्तगण द्वारा इस अपराध में पूर्व में कोई अवधि जेल में बिताई गई हो तो उक्त अवधि इस सजा में समायोजित होगी।

निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जावे।

दिनांक 18.02.2026

(अंकित वर्मा)
J.O. Code U.P. 2536
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या 11, आजमगढ़।

यह निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 18.02.2026

(अंकित वर्मा)
J.O. Code U.P. 2536
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या 11, आजमगढ़।